न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः सी. आर. देवासी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 01 / 2025 अपील (GCMS 2025/1)
पंजीयन दिनांक– 02 / 01 / 2025
निर्णय दिनांक– 17 / 02 / 2025

1. श्री अनिल कुमार पिता भंवरलाल शिशोदिया, निवासी स्टेशन रोड़, मुख्य डाकघर के पास, चित्तौड़गढ़।
2. श्री अतुल कमार पिता भंवरलाल शिशोदिया, निवासी स्टेशन रोड़, मुख्य डाकघर के पास, चित्तौड़गढ़।
3. श्रीमती उषा पत्नि अनिल कुमार शिशोदिया, निवासी स्टेशन रोड़, मुख्य डाकघर के पास, चित्तौड़गढ़।
4. श्रीमती हेमलता पत्नि अतुल कुमार शिशोदिया, निवासी स्टेशन रोड़, मुख्य डाकघर के पास, चित्तौड़गढ़।

–अपीलांट्स

बनाम

1. नगर विकास प्रन्यास, चित्तौड़गढ़, जरिये सचिव, नगर विकास प्रन्यास, चित्तौड़गढ़।
2. नगर नियोजक, चित्तौड़गढ़ जरिये वरिष्ट नगर नियोजक, चित्तौड़गढ़।
3. नगर परिषद, चित्तौड़गढ जरिये आयुक्त, नगर परिषद, चित्तौड़गढ़।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, चित्तौड़गढ़, जिला चित्तौड़गढ़।
5. श्री विनोद कुमार पिता चुलाराम फुलवानी, निवासी सिंधी कॉलोनी, प्रतापनगर, चित्तौड़गढ़।
6. श्री हरिश कुमार पिता ईसरदास रोगानी, निवासी 14–ए, प्रतापनगर, चित्तौड़गढ़।
7. श्री राजेश पिता हरिकिशन चंदवानी, निवासी 89–ए शास्त्रीनगर, भीलवाडा।
8. श्री श्यामसुंदर पिता रामेश्वर वंगानी, निवासी 4–ए, प्रतापनगर, चित्तौड़गढ़।

9. श्री मनोज पिता दामोदर वंगानी, निवासी दामोदर क्लॉथ स्टोर, चारभुजा नगर, चित्तौड़गढ़।
10. श्रीमती मंजु पत्नि अनिल कुमार सिंघवी, निवासी राणा सांगा बाजार, चित्तौड़गढ़।

–रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः–

1. श्री हनुमान प्रसाद शर्मा — अधिवक्ता अपीलांट्स
2. श्री जय पुर्बिया — अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 5 से 10

अपील अन्तर्गत धारा 90–क भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध प्राधिकृत अधिकारी सचिव, नगर विकास प्रन्यास, चित्तौड़गढ़
जिला चित्तौड़गढ़ के रूपांतरण आदेश प्रकरण संख्या
19/2019/1869 निर्णय दिनांक 12.06.2019

निर्णय

दिनांक 17/02/2025

- अपीलांट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 90क राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय प्राधिकृत अधिकारी, सचिव नगर विकास प्रन्यास, चित्तौड़गढ़ के रूपांतरण प्रकरण संख्या 19/2019/1869 निर्णय दिनांक 12.06.2019 के विरूद्ध दिनांक 02.01.2025 को प्रार्थना पत्र धारा 5 मयाद अधिनियम मय शपथ पत्र, प्रार्थना पत्र बाबत स्थगन आदेश मय शपथ एवं प्रार्थना पत्र धारा 96 जाप्ता दीवानी मय शपथ पत्र के साथ इस न्यायालय में पेश की गई।

- इस प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी, सचिव, नगर विकास प्रन्यास, चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 19/2019/1689 निर्णय दिनांक 12.06.2019 से रेस्पोडेंट श्री विनोद कुमार पिता चुलाराम फुलवानी

व अन्य के पक्ष में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क के अधीन कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु आवेदित भूमि का परिवर्तन की अनुज्ञा प्रदान करने से व्यथित/असंतुष्ट होकर अपीलांट्स द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 90–क राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश की गई है।

- यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री हनुमान प्रसाद शर्मा उपस्थित, रेस्पोडेंट संख्या 5 से 10 की ओर से अधिवक्ता श्री जय पुर्बिया उपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 17.02.2025 को सुनी गई।

- आज दिनांक 17.02.2025 को अधिवक्ता अपीलांट्स एवं अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 5 से 10 द्वारा एक राजीनामा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि रेस्पोडेंट संख्या 5 से 10 अपीलांट्स के रास्ते के अधिकार एवं रास्ते की चौडाई के संबंध में उत्पन्न चिंता से सहमत हैं। जिससे उभयपक्ष में समझौता होकर रेस्पोडेंट संख्या 9 व 10 अपने भू–खण्ड संख्या 11, 12 में से 21/2–21/2 अर्थात् 30–30 इंच भूमि रास्ते हेतु समर्पित कर विवादित रास्ते/फुटपाथ की चौडाई 20 फीट किये जाने हेतु सहमत है। रेस्पोडेंट संख्या 9 व 10 अपने भू–खण्ड संख्या 11, 12 पर प्रश्नगत रास्ते की ओर सड़क लेवल से 11 फीट की उंचाई तक किसी प्रकार से कोई स्थाई अथवा अस्थाई निकास प्रोजेक्शन/रेम्प, सिढ़ियां इत्यादि नहीं रखेगें, परंतु रेस्पोडेंट संख्या 9 व 10 अपने भू–खण्ड संख्या 11, 12 की सीमा के अंदर प्रोजेक्शन/रेम्प, सिढ़ियां इत्यादि बनाने के अधिकारी होगें। उक्तानुसार दिनांक 12.06.2019 एवं स्वीकृत टाउन प्लानिंग नक्शा

में प्रश्नगत रास्ते/फुटपाथ की चौडाई 20 फीट किये जाने हेतु रेस्पोडंट संख्या 9 व 10 से 30–30 इंच भूमि रास्ते हेतु समर्पित करा भू–खण्ड संख्या 11, 12 का संशोधित प्लान एवं पट्टा जारी कराये जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित करावें। उपस्थित अधिवक्ता अपीलांट्स एवं अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 5 से 10 द्वारा सहमति स्वरूप फर्द अहकाम एवं राजीनामा पर अपने हस्ताक्षर अंकित किये है।

- हमने उभयपक्षों के उपस्थित अधिवक्तागण की प्रस्तुत बहस पर मनन किया तथा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं मूल्यांकन किया।

- उभयपक्षों के मध्य राजीनामा हो जाने के कथन एवं आदेश 23 नियम 1, 2 व 3 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के मद्देनजर रखते हुए हम यह उचित समझते है कि अपील के गुणावगुणों पर किसी प्रकार का विवेचन किये बिना प्राधिकृत अधिकारी, सचिव, नगर विकास प्रन्यास, चित्तौड़गढ़ का निर्णय दिनांक 12.06.2019 अपास्त किया जाकर मूल प्रकरण प्राधिकृत अधिकारी, सचिव, नगर विकास प्रन्यास, चित्तौड़गढ़ को राजीनामा की वैधानिकता की जांच कर पुनः विधि सम्मत् निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित समझते है।

- प्रकरण प्राधिकृत अधिकारी, सचिव, नगर विकास प्रन्यास, चित्तौड़गढ़ को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के प्रार्थनापत्र दिनांक 17.02.2025 की वैधानिकता की जांच कर पुनः विधिसम्मत् निर्णय पारित करें।

- उक्त विवेचन के परिणामस्वरूप यह अपील पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो जाने से राजीनामा के आधार पर निर्णित की जाती

है। निर्णय की प्रति के साथ राजीनामा प्रार्थना–पत्र की मूल प्रति प्राधिकृत अधिकारी, सचिव, नगर विकास प्रन्यास, चित्तौड़गढ़ को भिजवायी जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सी. आर. देवासी)
अति. संभागीय आयुक्त, उदयपुर